

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एस.डी.ओ. जिला रीवा

आदेश

(नियम 13 के नियम देखें)

1. भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत नाम : **Diwakar Singh** पता : **Ward No- 33 Moti Nagar Balaghat Balaghat 486001** द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन की सूचना आवेदन क्रमांक **2202 6653 160** दिनांक **17/03/2022** द्वारा निम्न तालिका अनुसार दी गई है :-

सठे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र (एकड़)	प्रव्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	प्रव्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	
177/1 क	कृषि	शैक्षणिक	1.97	13720	1.50	20580.00	13720	0.50	6860.00	3430.00
भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई कुल राशि				30870.00						

2. उक्त भूमि के व्यपवर्तन उपरांत निम्न तालिका अनुसार प्रव्याजी एवं भू-राजस्व का निर्धारण किया जाता है जो निम्नानुसार है :-

सठे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र (एकड़)	प्रव्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	प्रव्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	
177/1 क	कृषि	शैक्षणिक	1.97	13720	1.50	20580.00	13720	0.50	6860.00	3430.00
पुनर्निर्धारण उपरांत कुल देय राशि				30870.00						

4. (सी) आदेशित किया जाता है, भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक **2202 6653 160** दिनांक **17/03/2022** द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार भू-अभिलेख दुरुस्त किया जाये। (जहाँ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित राशि एवं भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई राशि सामान है।)
5. भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक **2202 6653 160** दिनांक **17/03/2022** द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग/निर्धारण हेतु गलत जानकारी देने सम्बन्धी तथ्य संज्ञान में आने से उद्भूत हुए अतिरिक्त प्रव्याजी, भू-राजस्व एवं अर्थदंड का भुगतान करने हेतु भूमिस्वामी बाध्य होगा।

दिनांक: 17/03/2022

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील त्योंथर
जिला रीवा

प्रतिनिधि:-

1. **Diwakar Singh** (भूमिस्वामी/आवेदक) पैरा 04 में अंकित अतिरिक्त राशि के भुगतान (पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक **2202 6653 160** दिनांक **17/03/2022** द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार) हेतु।
2. तहसीलदार पैरा - 4 में अंकित राशि के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित पटवारी हल्का **चौखडा** स.नि.म. **त्योंथर** तहसील, **त्योंथर** की ओर कार्यवाही हेतु।

SECRETARY
Heeralal Singh Shiksha
Avam Samaj Kalyan Samiti
Balaghat (M.P.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



ग्राम: चौखडा			पटवारी हल्का: चौखडा			तहसील: त्योथर			जिला: रीवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर तहसील प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे में फसल के खरीफ 2. रबी जायद 4. अन्य	फसल के बारे में फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1184268745	177/1/1		0.8010 हेक्टेयर	हीरालाल सिंह शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पंजीयन क्रमांक 04/21/01/01/2097 सरदार पटेल कालेज परिसर गायखुरी वालाघाट म.प्र.जरिये सचिव दिवाकर सिंह पिता चन्द्रभान सिंह पता सा.चौखडा तह.त्योथर जि.रीवा म.प्र. भूमि स्वामी							अन्य व्यवसायिक स्थल 0.8010 प्रकरण क्र.0926/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 13/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.177/1/क से 177/1/1 में परिवर्तित। (यह जमीन सिंचित है) आदेश तहसीलदार महो.तहसील त्योथर के नां.पजी क्र.11/12-
8335YCDEHR2RH0	(S)		रु.0.00								